


न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता

राजाज्ञा संख्या : 430 / VIII / 15-40(श्रम) / 2008, दिनांक : 15 जुलाई, 2015
एवं 1044(1) / VIII / 15-40(श्रम) / 2008, दिनांक : 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के आधार पर 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर माह जुलाई, 2019 से दिसम्बर, 2019 के औसत मूल्य सूचकांक 324 पर ₹ 20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01-04-2020 से 30-09-2020 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :—

$$(324 - 253) \times 20 = 1420.00$$


(दीपिका सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।


कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

संख्या : 989 / 4-1 / 2012

दिनांक : 12/03/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर, प्रतिपालन कराएं तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1— उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2— उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3— उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार
- 4— उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, ऊधमसिंह नगर।


(दीपिका सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।